Department of Horticulture and Food Processing
Government of Uttar Pradesh
Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001
Telephone - 0522-4044414, 2623277
Email - dirhorti@rediffmall.com
http://uphorticulture.gov.in

आँवला के बागों का जीर्णोद्धार

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत आंवला के जीर्णोद्धार पर होने वाले व्यय का विवरण

आंवला की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होने का कारण वृक्ष का पुराना व घना होना है, लेकिन जीर्णोद्धार तकनीक द्वारा इन पुराने, घने व अनुत्पादक बागों को पुनः उत्पादन में लाने के साथ–साथ बीजू पौधों में जीर्णोद्धार के उपरान्त शिखारोपण द्वारा व्यावसायिक तथा अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का उन्नयन करके पुनः उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

व्यय का विवरण

क्षेत्र – 01 हेक्टेयर
पौध से पौध की दूरी – 8 मी. x 8 मी., पौध संख्या – 157 पौधे
प्रथम चरण :–

क्रम सं.	कार्य विवरण	लागत	लागत / हेक्टर
अ.	पौध चयन के उपरान्त शाखाओं को भूमि से 2.0 या 2.5 मी. की ऊँचाई से काटना + कटे हुए भाग को बाग से हटाना + कटे हुए भाग पर गोबर या कॉपर आक्सीक्लोराइड का लेप करना + पौधे में थाला बनाना, जिसमें सिंचाई, निराई व गुड़ाई सम्भावित होगी + थाले में 60 किलो सड़ी गोबर की खाद डालकर गुड़ाई करने के तुरन्त बाद सिंचाई करना साथ ही सिंचाई हेतु बाग में नाली बनाना जिसके माध्यम से प्रत्येक थाले में सही रूप से सिंचाई हो सके।	रु. 100.00 प्रति पौधा	रु. 15,700.00
ब.	गोबर की सड़ी खाद ट्रैक्टर ट्रॉली (10' x 5' x 2') 100 घनफुट प्रति ट्रॉली (15 कुन्तल) (100 कि.ग्रा. प्रति पौध) 11 ट्रॉली प्रति हेक्टर।	रु. 800.00 प्रति ट्रॉली	रु. 8,800.00
स.	**रासायनिक खाद**		
	यूरिया – 2.0 कि. प्रति पौध (314 कि. प्रति हेक्टर)	रु. 258 / बैग	रु. 1,621.00
	म्यूरेट आफ पोटाश – 1.5 कि. प्रति पौध (236 कि.ग्रा. / हेक्टर)	रु. 222 / बैग	रु. 1,048.00
	सि. सु. फॉस्फेट–1.0 कि.ग्रा. प्रति पौध (157 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)	रु. 185 / बैग	रु. 581.00
घ.	**कीटनाशक**		
	नुवान – 3.0 ली. / हे.	रु. 450 / ली.	रु. 1,350.00
	कॉपर ऑक्सीक्लोराइड – 3 कि.ग्रा. / हे.	रु. 220 / कि.	रु. 660.00
	लागत		**रु. 29,760.00**

द्वितीय चरण :– कटाई के 1 माह बाद से 6 माह तक।

अ.	जीर्णोद्धार के उपरान्त निकले कल्लों की पिचिंग,	रु. 30.00 प्रति	रु. 4,710.00

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in
Internet Copy

बिरलीकरण व प्रबन्धन कार्य। प्रबन्धन में बिरलीकरण के उपरान्त कल्ले के आधे भाग को काटा जाता है यह बीजू पौध में नहीं होता है। बीजू पौधों में बिरलीकरण के उपरान्त चिन्हित कल्लों में शिखारोपण (बडिंग) किया जाता है।	पौधा
लागत	**रु. 4,710.00**
कुल लागत (प्रथम चरण + द्वितीय चरण)	**रु. 34,470.00**

नोट : शिखारोपण द्वारा बीजू पौधों को व्यावसायिक तथा अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों में बदला जाता है।

शिखा रोपण

पुराने बड़े, कम अच्छी किस्मों के पौधों (जैसे पुरानी किस्में बनारसी, फ्रान्सिस एवं देशी) का शिखा रोपण द्वारा जीर्णोद्धार या नयी किस्मों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार के पौधों को जमीन की सतह से 2.0-2.5 मीटर की ऊँचाई पर (दिसम्बर–जनवरी माह में) इस प्रकार से काटते हैं कि चारों दिशाओं में 4-6 मुख्य कटी हुई शाखाएं रहें। इन कटे भागों पर गाय का गोबर या कॉपर आक्सीक्लोराइड का लेप लगा देते हैं, जिससे इन भागों में फफूँदी का प्रकोप न होने पाये। इस प्रकार से कटी हुई मुख्य शाखाओं से 4 से 6 प्ररोह जो कि बाहर की तरफ निकल रहे हों को बढ़ने दिया जाता है। जून–जुलाई माह में इन्ही प्ररोहों पर उन्नत किस्म की (शांकुर) शाखा से कलिकायन कर दिया जाता है। इसके उपरान्त जब कलिका फुटाव ले लेती हैं तब प्ररोह के शीर्ष भाग को फुटाव वाली कलिका के ऊपर से काट दिया जाता है। इस प्रकार के पौधों में कीड़े व्याधियों एवं तेज हवा से नुकसान की अधिक सम्भावनाएं पायी जाती हैं। अतः पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

आंवले के पुराने व अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार

↓

2.0 से 2.5 मी. ऊँचाई से शाखाओं को काटना
(माह दिसम्बर – जनवरी)

↓

कल्लों का विरलीकरण/प्रबन्धन/शिखारोपण
(माह जुलाई–अगस्त)

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in
Internet Copy